राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएं,
2, जलपथ, गांधी नगर, जयपुर।

क्रमांकःएफ.3(91)/पोषा./विविध/ICDS/2019/31711-32047 जयपुर, दिनांक। 18/3/2020

उप निदेशक
महिला एवं बाल विकास विभाग,
समस्त।

बाल विकास परियोजना अधिकारी,
समेंकित बाल विकास सेवाएँ,
समस्त।

विषय :– कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु एहतियात के तौर पर आंगनबाडी केन्द्रों पर जागरूकता लाने के के संबंध में निर्देश ।

संदर्भ :– विभागीय आदेश कमांक प.11(3)(10) / मो./ ICDS/2016–17 /29950 दिनांक 15.03.2020 के कम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा कोरोना संकमण की स्थिति की समीक्षा बैठक में लिये गये निर्णय जिसमें बचाव के लिये एहतियात के तौर पर प्रदेश में 31 मार्च 2020 तक सभी आंगनबाडी केन्द्र तथा मिनी आंगनबाडी केन्द्र बन्द करने के निर्देश प्रदान किये गये हैं। साथ ही उक्त अवधि में लाभार्थियों को आंगनबाडी कार्यकर्ता /सहायिका द्वारा प्रावधान अनुसार TAKE HOME RASHAN का वितरण यथावत रूप से जारी रखे जाने एवं इस अवधि में 3 से 6 वर्ष के आयु–वर्ग के बच्चों हेतु भी TAKE HOME RASHAN का वितरण किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये हैं।

उक्त आदेशों की निरन्तरता में कोरोना वायरस से बचाव के लिए निम्नानुसार जन– समुदाय में जागरूकता लाए जाने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही भी किया जाना सुनिश्चित करें–

1. एक साथ बडे सामूहिक बैठक से बचें ।
2. भोजन से पहले एवं बाद हाथ साबुन या हैंडवाश से धोऐं ।
3. हर संपर्क के पश्चात हाथ साबुन या हैंडवाश से धोऐं ।

www.rajteachers.com

4. छीकतें या खॉसते समय रूमाल या मास्क का प्रयोग करें ।
5. अभिवादन में हाथ मिलाने या शारीरिक संपर्क से बचें ।
6. किसी को भी सर्दी– खॉसी के साथ बुखार के लक्षण होने पर तत्काल चिकित्सकीय जॉच करायें ।
7. भीड–भाड वाले स्थानों पर जाने से बचें ।
   जागरूकता फैलाने का उक्त कार्य समस्त क्षैत्रीय अधिकारियों/कर्मचारियों एवं मानदेय कर्मियों द्वारा सम्पादित किया जावें ।

निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकःएफ.3(91)/पोषा./विविध/ICDS/2019/32048-66 जयपुर, दिनांक 18/3/2020

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–
1. विशिष्ठ सहायक, मा. मंत्री महोदया, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं, राज. जयपुर।
4. समस्त अधिकारीगण, मुख्यालय।
5. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

अतिरिक्त निदेशक (पोषाहार)

www.rajteachers.com